

**जान से मारने धमकी दी**  
उमरिया इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम सलैया मे आरोपियों द्वारा फरियादी से गाली गलौज करके हुए मारपीट की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई।  
जानकारी अनुसार रानी बाई काछी की शिकायत पर आरोपी राम पाल काछी, रामसुजान काछी निवासी ग्राम सलैया पर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है।

और महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पूर्व अवसर पर भक्त माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रह हन्त प्रभु पूजन, कन्यापूजा और विशेषकर अनुष्ठान आयोजित कर रहे हैं। वे नवरात्र और शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल्याण आश्रम को दुल्हन की तरह सजया गया है। आश्रम में दीपों की रोशनी, फूलों की सजावट और रंगीन लाइट की रोशनी ने इसे और भी भव्य रूप दिया है। नवरात्र की तरह इस बार भी विशेषकर पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान में भक्तजन शामिल हो बड़े ही

**अनुपूर.** फुन्गा पुलिस में रेत का अवैध उत्खनन तथा परिवहन करते पाए जाने पर ट्रैक्टर वाहन को जबरन किया है। कठनाई नदी धनपुरी के रेत का अवैध उत्खनन करते हुए परिवहन करते पाए जाने पर ट्रैक्टर वाहन (एमपी १६ केवट ए ७४५६) के चालक आशा जैन केवट पिता भोलू केवट उम्र २० वर्ष निवासी पडियर थाना अमलई व ट्रैक्टर मालिक राजभान पटेल पिता स्व. हनुमान प्रसाद पटेल उम्र ४७ वर्ष निवासी धनपुरी थाना भावमाड़ा ने बिभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर वाहन को जबरन क लिया है।

सभी को अच्छी शिक्षा का प्रयास सरकार का मुख्य एजेंडा रहा है। इस नोबेल काज को व्यापार बनाने वालों के खिलाफ जंग ली है **वेदव्यन।**

■ **कास्ट:** अमिताभ बच्चन, राजनीति रण्णा डग्गुबत्ती, फहाद फासिल।

■ **आयोजक:** टी.जे. म्गनदेव

■ **स्टेरी:** म्गनदेव-किरुति

■ **विजेताएँ:** सदा अन्न, कृषि

### रैटिंग चार्ट

■ आइएमडीबी रैटिंग:	3.5 स्टार
■ मीडिया रैटिंग:	3.5 स्टार
■ बॉलीवुड हंगामा:	4 स्टार
■ ऑर्मक्स:	3.5 स्टार
■ सोशल मीडिया:	3.5 स्टार
■ कोइमोई:	3 स्टार

[illegible]

कोतमा, बिजुरी में विसर्जन  
कृण्ड का किया निरीक्षण

**अनूपपुर** मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विस्मर्जन के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रों में बनाए गए विस्मर्जन कुंड स्थल का कलेक्टर हर्षल पंजोली ने निरीक्षण कर तैयारियों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान, एसडीएम कोतमा अजीत तिवारी तथा संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में लेग नदी तट के समीप न जाएं और न ही नदी में प्रतिमाओं का विस्मर्जन करें। कलेक्टर ने जिले के नगरीय



निकाय क्षेत्र पसान, कोतमा, विजुली क्षेत्र में बनाए गए विसर्जन कुण्ड स्थलों का मौका मुआयना किया। उन्होंने विसर्जन के लिए आने वाले प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए समीक्षा आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विसर्जन व्यवस्था सुचारु रूप से हो एवं श्रद्धालुओं को किसी

भी प्रकार की परेशानी न हो। विसर्जन के समय बैरेकेड्स लगाने, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था कराने अधिकारियों को निर्देश दिए। कृत्रिम विसर्जन कुण्ड में पर्याप्त पानी भरने के निर्देश दिए। इसके अलावा होम्मागई के स्थानीय अमले के साथ गेताखोरों को तैनात करने निर्देशित किया।

रेटिंग ★★ ★ रनिंग टाइम: 163 मिनट  
दर्शकों के साथ फिल्म रिलीज़

अभिमत बचन और रजनीकांत दोनों हमेशा से ही शानदार रहे हैं। एक फिल्म में दोनों की मौजूदगी फिल्म को चार चांद लगा गई। ये कहना था कृष्णा-आरीष, मोना और कन्याकुमारी का एसपी अथियन एस. सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की टीचर होने का खत लिखकर भेदव मांगती देता है। सरन्या चेन्नई ट्रांसफर का जता है। इसमें युवा इंजीनियर गुनराजका एनाउंस्डर हो जाता है, जब

**एक्टिंग:** लंबे असे  
फ्रेम में देखना सुखद  
फह्राद, रितिका, राणा  
**लोकेश ठांस और सिनेम**

अभिव्यक्ति का। वहीं, मुकुल और गरिमा ने फिल्म को शानदार बताते-अरविंद-तरुण के अनुसार थोड़ी-सी एडिटिंग में कसावट इसे और ज्यादा बेहतरीन बना देती।

क बाद बिग बी और रजनीकांत को एक  
ए। दोनों ने शानदार अभिनय किया।  
और अन्य ने अच्छा काम किया।

**लेखाफी: अच्छी। - पुलकित शर्मा**









**सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया**  
**Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

**चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 28/10/2024**  
**विस्तृत नियम एवं शर्तें**

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
28/10/2024 समय: सुबह 12.00 बजे से साँय 6.00 बजे तक	28/10/2024 साँय 6.00 बजे तक

#### नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक 28/10/2024 को (समय: सुबह 12.00 बजे से साँय 6.00 बजे तक) 05 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ अथवा ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) है।
- निविदाकर्ता <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।  
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:  
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।  
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।  
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ईमडी वॉलेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/(RTGS)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।  
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।

**कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।**

- ई-नीलामी प्लेटफार्म <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता-PSB Alliance Pvt Ltd द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय Unit 1, Third Floor, VIOS Commercial Tower, Near Wadala Truck Terminal, Wadala East, Mumbai-400037 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का PSB Alliance Pvt Ltd के पोर्टल (<https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd)) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के



Regional Office Burhar Road (M.P.)-484001  
Mob. 96930 96247 email – [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)





**सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया**  
**Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**REGIONAL OFFICE - SHAHDOL**

नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 91-82912 20220 या E-mail id [psba@psballiance.com](mailto:psba@psballiance.com) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT/RTGS) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) निविदाकर्ता के ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 28/10/2024 साँय 6.00 बजे तक।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबंधित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 05 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 05 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 05 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 05 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 05 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 05 मिनट बढ़ जाएगा. ( प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से



Regional Office Burhar Road (M.P.)-484001  
Mob. 96930 96247 email – [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)





**सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया**  
**Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**REGIONAL OFFICE - SHAHDOL**

विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बड़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल (म.प्र.)

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

- वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
- सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय राशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊँचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
- सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
- निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध (PSB Alliance Pvt Ltd) के वेब पोर्टल <https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) और [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।



Regional Office Burhar Road (M.P.)-484001  
Mob. 96930 96247 email – [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)


**REGIONAL OFFICE - SHAHDOL**

21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा -बुढ़ार (मोब:-91-79841 28189) से बैंकिंग कार्य दिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री रामा कान्त मिश्रा (मो. 91-96930 96247), एवं श्री संजय केन (मो.91-9407586814) , क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, ईमेल- recvshahro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : शहडोल  
दिनांक : 10/10/2024



कृते सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :   
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)  
Regional Office, Shahdol (M.P.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्राधिकृत अधिकारी